राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक / अधिवक्ता का नाम	आलोच्य आदेश दिनांक
1.	02492 / 2023 अलका गागर	1. राजस्थान सरकार जरिये निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर। 2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3. निदेशक (प्रशासन) समेकित बाल विकास सेवाए राजस्थान, जयपुर। 4. प्रमुख शासन सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर।	22.09.2023	श्री पुष्पेन्द्र सिंह, अभिभाषक एवं श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता	03.10.2023
2.	02493 / 2023 राजेन्द्र चौधरी		26.09.2023		
3.	02494 / 2023 शेर सिंह				
4.	02495 / 2023 सुशीला देवी शर्मा				
5.	02496 / 2023 सुनीता बैरवा				
6.	02497 / 2023 मन्नी देवी मीना				
7.	02498 / 2023 रामहरि शर्मा				
8.	02499 / 2023 सुनीता बैरवा				
9.	02500 / 2023 महेश कुमार त्रिपाठी				
10.	02501 / 2023 मधु कुमारी बेनीवाल				
11.	02502 / 2023 पंकज चौपड़ा				
12.	02503 / 2023 दुली चन्द				
13.	02504 / 2023 राधेश्याम शर्मा		22.09.2023		
14.	02505 / 2023 श्री कान्त		22.09.2023		
15.	02506 / 2023 सरोज चौधरी		26.09.2023		
16.	02507 / 2023 इन्द्र गिरी गोस्तामी		22.09.2023		
17.	02508 / 2023 सम्पति मीना		22.09.2023		
18.	02509 / 2023 विकास कुमार ढाका		26.09.2023		
19.	02510 / 2023 राजीव कुमार प्रजापत		26.09.2023		
20.	02511 / 2023 लक्ष्मण सिंह				
21.	02512 / 2023 कृष्ण कुमार शर्मा				
22.	02513 / 2023 ब्रहांनन्द शर्मा				
23.	02514 / 2023 प्रहलाद सिंह				
24.	02515 / 2023 गीता देवी				
25.	02516 / 2023 जंसवत सिंह		22.09.2023		
26.	02517 / 2023 विजय कुमार नपित		26.09.2023		
27.	02518 / 2023 मीनू कुमारी जाटव				

28.	02519/2023 सपना देवी	1. राजस्थान सरकार जरिये निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर। 2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3. निदेशक (प्रशासन) समेकित बाल विकास सेवाए राजस्थान, जयपुर। 4. प्रमुख शासन सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर।	26.09.2023	श्री पुष्पेन्द्र सिंह, अभिभाषक एवं श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता	03.10.2023
29.	02520/2023 पदमा वैष्णव				
30.	02521/2023 मोहिनी नागर				
31.	02522/2023 आशीष कुमार जांगिड़				
32.	02523/2023 चन्द्र किरण मीना				
33.	02524/2023 सन्तोष माली				
34.	02525/2023 वन्दना कुमारी				
35.	02526/2023 भूपेन्द्र सिंह				
36.	02527/2023 जीतेन्द्र सिंह सैमारा				
37.	02528/2023 रजनीकान्त शर्मा				
38.	02529/2023 सुनील कुमार मीणा				
39.	02530/2023 अनिता बैरवा				

आदेश की दिनांक : 16.10.2023

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 2492/2023 अलका गागर बनाम राजस्थान सरकार जरिये निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.09.2023 को अपीलार्थी की सीमा तक निरस्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थीगण को अपीलार्थी की राज्यस्तरीय वरिष्ठता सूची के अनुसार एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र अनुसार गृह जिला भरतपुर आवंटन के आदेश फरमाने हेतु निर्देशित करने एवं दौराने अपील उत्पन्न होने वाले वेतन, भत्ते, अन्य लाभ/परिलाभ पर भी उचित आदेश फरमाया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 19.06.2017 को पूर्व प्राथमिक शिक्षक के पद पर ऑगन बाडी पाठशाला किशनपुरा सीकरी जिला भरतपुर में हुई थी। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने आदेश दिनांक 19.09.2023 द्वारा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.11.2022 की पालना में निदेशक, समेकित बाल विकास विभाग जयपुर के अधीन कार्यरत पूर्व प्राथमिक शिक्षक को शिक्षा विभाग के अधीन महात्मा गांधी (अंग्रेजी माध्यम) राजकीय विद्यालय में संचालित बाल वाटिका में समायोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। जिसकी अनुसरण/अनुपालना में प्रत्यर्थीगण ने जिलावार वरिष्ठता तथा विकल्प पत्र की प्राथमिकता के आधार एवं अधिशेष के आधार पर जिला आवंटन किया जा रहा है। उक्त संबंध में पारित आदेश दिनांक 19.09.2023 के द्वारा अपीलार्थी का नाम जिला आवंटन सूची में क्रमांक 712 पर जिला झालावाड़ का आवंटन किया गया है। अपीलार्थी का चयन भी उक्त पद पूर्व प्राथमिक शिक्षक में राज्य स्तरीय काउंन्सिलिग के आधार पर हुआ है एवं अपीलार्थी उक्त काउंन्सिलिग में वरिष्ठता क्रमांक 20131099 जिसके अनुसार उसे गृह जिला भरतपुर आवंटन किया जाना था किंतु प्रत्यर्थीगण ने राज्य स्तरीय वरिष्ठता एवं विकल्प पत्र की प्राथमिकता को नजरअंदाज करते हुए अपीलार्थी को पूर्व कार्यस्थल अथवा जिला झालावाड़ में समायोजित करने का आक्षेपित आदेश पारित किया है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.09.2023 को अपीलार्थी की सीमा तक निरस्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थीगण को अपीलार्थी की राज्यस्तरीय वरिष्ठता सूची के अनुसार एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र अनुसार गृह जिला भरतपुर आवंटन के आदेश फरमाने हेतु निर्देशित करने एवं दौराने अपील उत्पन्न होने वाले वेतन, भत्ते, अन्य लाभ/परिलाभ पर भी उचित आदेश फरमाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी पूर्व प्राथमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत है जो पूर्व निदेशक, समेकित बाल विकास विभाग के अधीन कार्यरत थी। माननीय मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के बिंदू संख्या 230 एवं राज्य सरकार के पत्रांक :– प. 4(15) शिक्षा–1/ बाल वाटिका/2022 जयपुर दिनांक 24.11.2022 की पालना में निदेशक, समेकित बाल विकास विभाग, जयपुर के अधीन कार्यरत पूर्व प्राथमिक शिक्षकों को शिक्षा विभाग के अधीन महात्मा गांधी (अंग्रेजी माध्यम) संचालित बाल वाटिका में समायोजन के निर्देश प्रदान किये गये। प्रत्यर्थी

संख्या 01 के आदेश दिनांक 12.01.2023 (जिसमें दोनों विभाग के विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर है) के द्वारा संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी (समेकित बाल विकास सेवाएं) को तत्काल इस श्रेणी के अध्यापकों को वर्तमान पदस्थापन जिले से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय को कार्यमुक्त करने के निर्देश प्रदान किये गये साथ ही संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय को पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यग्रहण करवाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। अपीलार्थी पूर्व से झालावाड़ जिले में ही कार्यरत थी, अतः निर्देशानुसार अपीलार्थी का जिला आवंटन परिवर्तन नही करते हुए अपीलार्थी को मूल कार्यरत जिले झालावाड़ में ही पदस्थापित रखा गया है। अतः प्रस्तुत अपील के माध्यम से अपीलार्थी कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अपीलार्थी द्वारा आदेश दिनांक 19.09.2023 की अनुपालना में आयोजित काउंसलिंग दिनांक 27.09.2023 में उपस्थिति प्रदान करते हुए महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पंचपहाड (भवानी मंडी) जिला झालावाड में पदस्थापित करने हेतु विकल्प पत्र किया गया है। उपलब्ध रिक्त पदों के अनुसार मिनीमम रिशफल के आधार पर कार्मिकों को उनके पूर्व कार्यरत जिलों में ही समायोजित किया गया है। अपीलार्थी पूर्व से झालावाड जिले में ही कार्यरत थी तथा प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थी को झालावाड जिले में ही समायोजित करने की कार्यवाही समक्ष स्तर से प्राप्त निर्देशानुसार ही संपादित की गई है। अतः अपील अपीलार्थी मय स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 19.06.2017 को पूर्व प्राथमिक शिक्षक के पद पर ऑगन बाडी पाठशाला किशनपुरा सीकरी जिला भरतपुर में हुई थी। आदेश दिनांक 19.09.2023 द्वारा प्रत्यर्थीगण ने जिलावार वरिष्ठता तथा विकल्प पत्र की प्राथमिकता के आधार एवं अधिशेष के आधार पर जिला आवंटन किया गया, जिसमें अपीलार्थी को जिला झालावाड़ आवंटन किया गया है। अपीलार्थी का चयन भी उक्त पद पूर्व प्राथमिक शिक्षक में राज्य स्तरीय काउंन्सिलिग के आधार पर हुआ है एवं अपीलार्थी उक्त काउंन्सिलिग में वरिष्ठता कमांक 20131099 जिसके अनुसार उसे गृह जिला भरतपुर आवंटन किया जाना था किंतु प्रत्यर्थीगण ने राज्य स्तरीय वरिष्ठता एवं विकल्प पत्र की प्राथमिकता को नजरअंदाज करते हुए अपीलार्थी को

पूर्व कार्यस्थल अथवा जिला झालावाड़ में समायोजित करने का आक्षेपित आदेश पारित किया है। जहां तक अपीलार्थी को गृह जिला भरतपुर आवंटित नहीं किए जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी पूर्व से झालावाड़ जिले में ही कार्यरत थी और निर्देशानुसार अपीलार्थी का जिला आवंटन परिवर्तन नही करते हुए अपीलार्थी को मूल कार्यरत जिले झालावाड़ में ही पदस्थापित रखा गया है। अपीलार्थी का सहमति पत्र दिनांक 27.09.2023 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी ने लिखित में आयोजित काउंसलिंग दिनांक 27.09.2023 में उपस्थिति प्रदान करते हुए महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पंचपहाड (भवानी मंडी) जिला झालावाड में पदस्थापित करने हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके क्रम में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को झालावाड जिले में ही समायोजित करने की कार्यवाही समक्ष स्तर से प्राप्त निर्देशानुसार ही संपादित की गई है, जिसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन होना हमें परिलक्षित नहीं होता है। अतः अपीलार्थी के इस तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलें खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती हैं।

मूल आदेश अपील संख्या 2492/2023 अलका गागर बनाम राजस्थान सरकार जरिये निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य